क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
	23/9/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप. प्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रार्थी ने प्रा. पत्र नक्शा दुरस्ती धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम 1956 का पेश किया है। Sec. 136 में दुरस्ती केवल रिकार्ड ऑफ राइट में की जा सकती है। Sec 114 में रिकार्ड ऑफ राईट की परिभाषा में नक्शा शामिल नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रा. पत्र Sec. 136 LR ACT की परिधि में नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली डैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर लेकर धे। उपखण्ड अधिकारी चाकसू (जयपुर)